प्रति

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78/2020...2228 **पटना, दिनांकः**– 17/03/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 812 दिनांक 08.09.2022 द्वारा मो0 नुरूल्लाह रहमानी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03193) के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने, फर्जी प्रतिवेदन देने, आंकड़ो के साथ धोखाधरी करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2690 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि के उपरांत समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा उपर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में यह तर्क दिया गया है कि ग्रामीण के गाँवों में नहीं रहते हैं तथा अधिकतर ग्रामीणों के अशिक्षित रहने के कारण इनके द्वारा की जारी खानापुरी कार्य पर कुप्रभाव पड़ा है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि रैयती और सरकारी खेसरों की संख्या की एक साथ प्रविष्ट करने के फलस्वरूप प्रतिवेदन गलत हुआ है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को खंडित करता हो। अगर इनके द्वारा रैयती और सरकारी खेसरों की संख्या अलग–अलग कर प्रविष्टि की जाती तो इस तरह की गलती नहीं होती। इस कृत्य से स्पष्ट होता है कि ये अपने कार्यो के प्रति लापरवाह हैं तथा सरकारी आंकड़ों में हेर–फेर कर प्रतिवेदन देने में विश्वास रखते हैं। इनके पदस्थापन के दौरान कार्यकलाप के संबंध में उक्त जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी, जो जिले के सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा करते हैं, उनके द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि भ्रमण के दौरान उन्हें इनके विरूद्ध गंभीर किस्म की शिकायत मौखिक रूप से लोगों के द्वारा दी गयी है।

आरोपित के विरूद्ध अनुशंसा तदनुसार इनका स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अन्य अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाना है। इनके इस तरह के कार्यकलाप से अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर कुप्रभाव न पड़े इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही औचित्यपूर्ण है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** के आलोक में मो0 नुरूल्लाह रहमानी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03193) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

17/3/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ह0 प्र0 3ठ

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78 / 2020 2228 **पटना, दिनांक** :– 17/03/2023

प्रतिलिपि :– मो0 नुरूल्लाह रहमानी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03193), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78 / 2020 2228 **पटना, दिनांक** :– 17/03/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78 / 2020 2228 **पटना, दिनांक** :– 17/03/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
17/3/23